

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय मुख्य अधिकारी
Office of the Chief Engineer
प्रयागराज क्षेत्र, लो०नि०वि०, प्रयागराज
Prayagraj Zone, PWD Prayagraj



2 सी बेली रोड, प्रयागराज-211002
2-C Beli Road, Prayagraj-211002
0532-2440036
cepwdal@gmail.com

पत्रांक :- 72 /29 याता(फतो)-प्रया०क्षे०/2021

दिनांक :- 12/10/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

विषय :-

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री कंधई लाल, निवासी-मलाका, थाना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम-देवलान, परगना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर गाटा स०-२८क पर फतेहपुर बब्रु अतर्ता नरेनी करतल मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०-२३ (चैनेज 22.038-22.098) के बाये तरफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित नये (पेट्रोल/डीजल) रिटेल आउटलेट पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

कार्यालय जिलाधिकारी(आयुध अनुभाग), फतेहपुर का पत्रांक 34/20-विविध/आयुध-रि०आ०/2021 दिनांक 23.11.2021, अधिकारी अधिकारी निर्माण खण्ड-२, लो०नि०वि०, फतेहपुर का पत्रांक 1609/सी-१/2021 दिनांक 22.12.2021 एवं अधीकारी अधिकारी, प्रतापगढ़ पृत्त, लो०नि०वि०, प्रतापगढ़ का पत्रांक 5783/१सी०-प्र०फ०व०/2021 दिनांक 31.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री कंधई लाल, निवासी-मलाका, थाना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम-देवलान, परगना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर गाटा स०-२८क पर फतेहपुर बब्रु अतर्ता नरेनी करतल मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०-२३ (चैनेज 22.038-22.098) के बाये तरफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित नये (पेट्रोल/डीजल) रिटेल आउटलेट पम्प की स्थापना हेतु प्रेषित किया गया है। अधिकारी अधिकारी/अधीकारी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. उ०प्र० रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1964 की धारा-७(1) के अन्तर्गत राज्य मार्गों पर नगर सीमा के अन्दर मार्ग के मध्य बिन्दु से ७५ फिट से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउण्ड्रीबाल का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
2. संलग्न मानचित्र के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से २२.८६ मी० की दूरी पर एक तरफ की भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
3. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्थामी दर्ज होने अथवा भूस्थामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज-डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाय। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उसके नाम भूस्थामी द्वारा पंजीकृत लीज-डीड का निष्पादन न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मात्र न्यायालय में यदि कोई बाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र न निर्गत किया जाय।
4. संलग्न मानचित्र एवं भविष्य को देखते हुए प्रथम फिलिंग प्वाइंट ३२.८६ मीटर ए द्वितीय फिलिंग प्वाइंट ४१.८६ मीटर, तृतीय फिलिंग प्वाइंट ४८.८६ मीटर एवं चतुर्थ फिलिंग प्वाइंट ५५.८६ मीटर से कम दूरी पर न बनाया जाय।
5. मार्ग के जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार १.०० मीटर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं क्रास ड्रेनेज हेतु पवकी नाली का निर्माण आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्च पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. वफर स्ट्रिप की लम्बाई १२.०० मी० एवं चौड़ाई ३.०० मी० से कम नहीं होनी चाहिए।
7. आई०आर०सी० कोड के अनुसार प्रस्तावित कार्य का फ्रन्टेज/प्रवेश एवं निकास क्रमशः न्यूनतम लम्बाई ३५.०० मी०/११.५० मी० एवं ११.५० मी० तथा स्लोप २ प्रतिशत से कम न रखा जाय।
8. रिप्लेकिट बॉस्टन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्च पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कराये प्रमाणित न किया जाय।

SIDDHARTH JAIN

Chief Regional Manager
Kanpur Refinery Final Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

